

पत्रावली 8.9.2022 का पत्र है।

8.9.22 पत्रावली पेश हुई, वकील वादिया अनुपस्थित, वादिया एवं वादिया के अधिवक्ता को फिली बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। वकील वादिया के अनुपस्थित रहने से वादिया का वाद पत्र अदम हाजरी / अदम पंरवी में श्वारीज किया जाता है, पत्रावली फंसलशुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा